## न्यायालयः— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारीः—सिराज अली)

<u>व्यवहार वाद क्रमांक—37 ए / 2014</u> <u>संस्थापन दिनांक—13.01.2009</u> <u>फाईलिंग क्रमांक—234503002872014</u>

अहमद रजा खान पिता स्व. शकील अहमद खान, उम्र—19 वर्ष, निवासी—गुर्जर गैस गोदाम के पीछे, राजीव गांधी चौक भण्डारा, पोस्ट, तहसील एवं जिला भण्डारा (महाराष्ट्र)

वादी

### विरुद्ध

1—हीरादास महानंदा पिता ढढ्डूदास महानंदा, उम्र—56 वर्ष, निवासी—वार्ड नंबर 6, मोहगांव पोस्ट मोहगांव, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—बशीर अहमद खान पिता गुलाम अहमद खान, उम्र—58 वर्ष, निवासी—ग्राम पोस्ट मोहगांव, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—मध्य प्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — —

<u>प्रतिवादीगण</u>

# -:// <u>निर्णय</u> //:-<u>(आज दिनांक-26/11/2015 को घोषित)</u>

1— वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह व्यवहार वाद मौजा मोहगांव प. ह.नं. 42, रा.नि.मं. बिरसा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 274/3 रकबा 0.10 एकड़ भूमि एक कच्चा मकान सिहत (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) में से 0.03 डिसमिल भूमि का प्रतिवादी क्रमांक—2 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक—1 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र शून्य घोषित किये जाने और विवादित भूमि एवं उस पर बने मकान का रिक्त आधिपत्य दिलाए जाने हेतु पेश किया है।

- 2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी क्रमांक—2, वादी का सगा फूफा है तथा उसकी पत्नी अर्थात वादी की बुआ रिजया बेगम ला—औलाद होने से व वादी से असीम स्नेह रखने के कारण वादी की आयु 8—9 साल की थी, तब से वह अपनी बुआ के पास रहता था। वादी के पिता वन विभाग में कार्यरत् थे, जो वर्ष 1999 में फौत हो चुके हैं।
- 3— वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के पिता वन विभाग में कार्यरत् होकर मोहगांव में ही पदस्थ थे, जहां वादी की बुआ श्रीमती रिजया पित बशीर अहमद भी रहा करती थी, जो ला—औलाद थी। विवादित भूमि को राजकुमार भोजक से राशि 25,000/—रूपये वादी की माँ ने अदा कर वादी के लिए वादी की बुआ का स्नेह का सम्मान करते हुए उसे वली बनाकर वादी की नाबालिंग अवस्था में खरीदा था। उक्त विवादित भूमि वादी के नाम से ही राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई, जिस पर एक कच्चा मकान था, जिसमें वादी की बुआ व उसका पित प्रतिवादी कमांक—2 रहते थे। उक्त भूमि का लगान वादी की ओर से अदा किया जाता था। वादी के पिता फौत होने पर विवादित भूमि को वादी की बुआ रिजया बेगम की देखरेख में न्यस्त करते हुए वादी व उसकी माँ जिला भण्डारा जाकर रहने लगी। रिजया बेगम के फौत होने के पश्चात् विवादित मकान प्रतिवादी कमांक—2 को न्यस्त कर रख—रखाव हेतु दे दिया गया।
- 4— वादी का यह भी अभिवचन है कि उसे व उसकी माँ को जुलाई 2007 में यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिवादी क्रमांक—2 ने विवादित भूमि का कुछ भाग अवैध रूप से प्रतिवादी क्रमांक—1 को विक्रय कर दिया है, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक—1 निर्माण कार्य करवा रहा है। वादी दिनांक—19.07.2008 को अपनी माँ के साथ मोहगांव आया और उक्त निर्माण कार्य रोकने को कहा तो प्रतिवादी क्रमांक—1 ने विवादित भूमि से 0.03 डिसमिल भूमि दिनांक—15.12.2003 को नगद राशि अदा कर प्रतिवादी क्रमांक—2 से रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जाना बताया। प्रतिवादी क्रमांक—1 ने जानबूझकर वादी के स्वत्व की भूमि को अवैध रूप से क्रय किया है। उक्त संव्यवहार वादी पर बंधनकारी नहीं होने से उक्त विक्रयपत्र शून्य घोषित किया जाना आवश्यक है।

वादी ने विवादित भूमि के उक्त विक्रयपत्र को शून्य घोषित किये जाने विवादित भूमि में से 8 डिसमिल भूमि प्रतिवादी क्रमांक—2 से रिक्त आधिपत्य दिलाए जाने और 2 डिसमिल भूमि प्रतिवादी क्रमांक—1 से दिलाए जाने की मांग कर कुल 10 डिसमिल भूमि मकान सहित कब्जा दिलाया जाने का अनुतोष चाहा है।

- 5— प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 ने स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर वादपत्र के अभिवचन से इंकार करते हुए जवाबदावा पेश कर अभिवचन किया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक—2 के द्वारा उसके साले से अच्छे संबंध होने व उसके पुत्र वादी से स्नेह होने के कारण वादी की नाबालिग अवस्था में वली संरक्षक रिजया बेगम के नाम से राजकुमार भोजक को राशि अदा कर क्रय की थी। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम दर्ज रहा, किन्तु विवादित भूमि का एकमात्र स्वामी व आधिपत्यधारी प्रतिवादी क्रमांक—2 ही रहा है। प्रतिवादी क्रमांक—2 को अपने घर खर्च के लिए रूपये की आवश्यकता होने पर प्रतिवादी क्रमांक—1 को नगद राशि 6,000/—रूपये प्राप्त कर विवादित भूमि में से 3 डिसमिल भूमि का रिजस्टर्ड विक्रय दिनांक—15.12.2003 निष्पादित कर कब्जा सौंप दिया है। प्रतिवादी क्रमांक—1 ने बैंक से ऋण प्राप्त कर खरीदी गई भूमि को बंधक रखकर उस पर पक्का मकान बनवाया है। वादी व उसकी माँ द्वारा यह वाद असत्य आधार पर पेश किया गया है। अतएव वाद निरस्त किया जावे।
- 6— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक—3 एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है।
- 7— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

A A**				
	<u>ज</u> ़ं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष	
	1	क्या वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 274/3, रकबा 0.10 डिसमिल भूमि स्थित ग्राम मोहगांव प.ह.नं—42 तहसील बैहर, जिला बालाघाट का स्वामी है ?	प्रमाणित	
	2	वया विक्रयपत्र दिनांक—15.12.2003 विधि विरूद्ध होने		
	_	से प्रभावशून्य है ?	,,,	

3	क्या प्रतिवादी क्रमांक—1 ने वादी के आधिपत्य की विवादित भूमि में से 0.08 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से आधिपत्य किया है ?	प्रमाणित
4	क्या प्रतिवादी क्रमांक—2 ने वादी के आधिपत्य की विवादित भूमि में से 0.02 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से आधिपत्य किया है ?	प्रमाणित
5	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

# नःः <u>सकारण निष्कर्ष</u>ः:— वादप्रश्न क्रमांक—1 व 2 का निराकरण

सुविधा की दृष्टि से उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि के संशोधन पंजी दिनांक-01.08.1998 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 पेश किया है, जिसमें यह लेख है कि खरीदी हक में राजकुमार से अहमद रजा नाबालिग वली बुआ रजिया बेगम के नाम से विवादित भूमि क्रय कर राजस्व अभिलेख में संशोधन किया गया है। पांचसाला खसरा फार्म 1998-99 से वर्ष 2001-02 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 पेश की है, जिसमें विकेता राजकुमार से वादी अहमद रजा वली बुआ रजिया बेगम के नाम से विवादित भूमि क्रय कर राजस्व अभिलेख में संशोधित प्रविष्टि किया जाना प्रकट होता है। इसके अलावा संशोधन पंजी दिनांक-21.07.2002 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-5 से यह प्रकट होता है कि रजिया बेगम की फौत होने के पश्चात् नाबालिग अहमद रजा के वली फूफा के रूप में प्रतिवादी क्रमांक-2 का नाम दर्ज हुआ। विवादित भूमि के विक्रयपत्र दिनांक—20.04.1998 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-18 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अहमद रजा के अवयस्क अवस्था में उसके नाम से वली बुआ रजिया बेगम ने विवादित भूमि क्रय की थी। इस प्रकार उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि वादी के नाम पर विवादित भूमि क्रय की गई थी।

9— वादी की ओर से प्रस्तुत पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक—15.12.2003 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—1 पेश की है, जिसमें विवादित भूमि में से 0.03 डिसमिल भूमि प्रतिवादी क्रमांक—1 को बादी अहमद रजा के नाबालिग अवस्था में उसके वली के रूप में फूफा प्रतिवादी क्रमांक—2 के द्वारा विक्रय किया जाना प्रकट होता है। उक्त विक्रयपत्र के समय वादी अहमद रजा अवयस्क होने के कारण उसकी ओर से विक्रेता प्रतिवादी क्रमांक—2 के द्वारा विवादित भूमि में से 0.03 डिसमिल

भूमि का प्रतिवादी क्रमांक—1 को विक्रय किये जाने हेतु विधिवत् अनुमित प्राप्त किये जाने के संबंध में विक्रयपत्र में उल्लेख नहीं किया गया है और न ही पृथक से ऐसा कोई आदेश पेश है।

- 10— वादी की ओर से वाद प्रस्तुति के पूर्व अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादीगण को प्रेषित रिजस्टर्ड नोटिस की प्रति प्रदर्श पी—11 में बेनामा दिनांक—15.12.2003 को अवैध रूप से निष्पादित किये जाने के कारण बेनामा रद्द कराने की सूचना दी गई थी। उक्त सूचना प्रतिवादीगण को प्राप्त होने के संबंध में सूचना की प्राप्त अभिस्वीकृति प्रदर्श पी—13 एवं 15 संलग्न है। उक्त नोटिस का जवाब प्रदर्श पी—16 से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक—2 ने उक्त विक्रयपत्र का निष्पादन उसे पैसे की आवश्यकता होने के कारण प्रतिवादी क्रमांक—1 को बेचा जाना अभिवचन किया है। इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं उभयपक्ष के अभिवचन से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि का वादी की अवयस्कता के दौरान उसके नाम से वली बुआ रिजया बेगम के द्वारा विक्रयपत्र का निष्पादन किया गया था और पश्चात् में रिजया बेगम के कोत होने पर उसके पति अर्थात प्रतिवादी क्रमांक—2 के द्वारा वादी के अवयस्कता के दौरान ही उसके वली के रूप में विवादित भूमि में से 0.03 डिसमिल भूमि का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक—1 को कर दिया गया है।
- 11— वादी अहमद रजा (वा.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। वादी की मॉ सईदा खान (वा.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में वादी का समर्थन करते हुए बताया है कि उसके पित वन विभाग में वनपाल के पद पर पदस्थ थे और उसके जीवनकाल में विवादित भूमि को उसके द्वारा पुत्र वादी के लिए उसकी अवयस्क अवस्था में ननद रजिया बेगम को वली बनाते हुए खरीदी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि जब जमीन खरीदी थी, तो वादी की वली संरक्षक वह और उसके पित नहीं बने थे। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसके पित सरकारी सेवा में थे, इस कारण वली संरक्षक नहीं बने, क्योंकि अपने नाम से जमीन नहीं खरीद सकते थे। इस साक्षी के भी प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।
- 12— प्रतिवादी बशीर अहमद (प्र.सा.1) ने अभिवचन के अनुरूप अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वादी अहमद रजा का पिता वन विभाग में था और वह अक्सर दौरे में रहता था, उसकी

पत्नी वादी की फूफी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि यदि वह चाहता विवादित भूमि उसके स्वयं के नाम से या उसकी पत्नी के नाम से खरीद सकता था। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसने अपनी पत्नी रिजया बी के नाम से विवादित जमीन खरीदा था। इस प्रकार प्रतिवादी साक्षी के उक्त कथन एवं प्रतिवादीगण के अभिवचन से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि को प्रतिवादी कमांक—2 ने स्वयं पत्नी के नाम से अपने पैसे से क्रय किया था।

- 13— प्रतिवादी बशीर अहमद (प्र.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि जिस समय विवादित भूमि खरीदना बता रहा है, उस समय उसकी आय से उसका तथा उसकी पत्नी का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने हाल ही में ग्रामीण बैंक में खाता खोला है, उसके पहले कोई खाता नहीं था। इस प्रकार विवादित भूमि को क्रय करने के समय प्रतिवादी क्रमांक—2 की आर्थिक स्थिति अच्छी न होते हुए भी उसके द्वारा विवादित भूमि की क्रय राशि अदा करना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।
- 14— प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी राजकुमार (प्र.सा.2) एवं हीरादास (प्र.सा.3) का वादी पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण ने कथित रूप से विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक—2 के द्वारा खरीदने और पश्चात् में विवादित भूमि का प्रतिवादी क्रमांक—1 को विधिवत् विक्रय किये जाने का समर्थन किया है। यद्यपि प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी की अवयस्क अवस्था में वादी अहमद रजा वली बुआ रजिया बेगम के नाम से विवादित भूमि क्रय की गई थी। ऐसी दशा में विवादित भूमि के पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक—20.04.1998 के दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण की उक्त मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं की जा सकती है।
- 15— प्रकरण में प्रतिवादीगण के अभिवचन एवं प्रतिरक्षा में प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रमांक—2 ने स्वयं अपने पैसे से पत्नी के नाम से क्रय किया था। प्रतिवादीगण के उक्त अभिवचन एवं प्रतिरक्षा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम 1988 के अंतर्गत आती है, जिसकी धारा—4 की उपधारा—2 के अंतर्गत प्रतिवादी को ऐसी प्रतिरक्षा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। श्रीमती सईदा (वा.सा.2) के प्रतिपरीक्षण में स्वयं प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि उसने विवादित भूमि का रजिया बेगम या बशीर अहमद के सुपूर्द या न्यस्त नहीं किया, जिसे साक्षी ने स्वीकार किया है। प्रकरण में ऐसी परिस्थितियां प्रकट नहीं होती है कि प्रतिवादी क्रमांक—2 या

उसकी पत्नी ने विवादित संपत्ति न्यासी के रूप में प्राप्त की थी, बिल्क दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि को वादी अहमद रजा के नाम से ही क्य किया गया था। ऐसी दशा में बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम 1988 की धारा—4 का अपवाद प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा ली गई प्रतिरक्षा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम 1988 की धारा—4 के अंतर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

- विवादित भूमि को वादी की अवयस्कता के दौरान उसके नाम से पंजीयत विक्रयपत्र के माध्यम से क्य किया गया होने से वादी ही विवादित भूमि का विधिक स्वामी है, जिसे उसकी अवयस्कता के समय तथाकथित संरक्षक द्वारा न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के विक्रय किया जाना प्रकट होता है। वादी की नैसर्गिक संरक्षक माँ के जीवित होते हुए भी वादी के फूफा प्रतिवादी क्रमांक—2 को विवादित भूमि का वादी की अवयस्क अवस्था में विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 की उपधारा 2 के अन्तर्गत नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना अप्राप्तवय की स्थावर सम्पत्ति का किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करेगा तथा उक्त धारा की उपधारा 3 के अन्तर्गत उपधारा 2 के उल्लंघन में स्थावर सम्पत्ति का किया गया अन्तरण अप्राप्तवय की या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा पर शुन्यकरणीय होगा।
- 17— हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत वादी की अवयस्कता के दौरान उसकी माँ नैसर्गिक संरक्षक के रूप में जीवित होने से प्रतिवादी कमांक—2 को वादी के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में न तो विवादित भूमि को विकय करने का अधिकार था और न ही इस संबंध में प्रतिवादी कमांक—2 ने न्यायालय से कोई अनुज्ञा प्राप्त की थी। प्रतिवादी कमांक—1 ने भी उक्त विधिक प्रावधान का उल्लंघन करते हुए विवादित भूमि में से 0.03 डिसमिल का विकयपत्र अपने पक्ष में निष्पादित कराया है, इस कारण उसे सद्भाविक केता नहीं माना जा सकता और न ही उसे विवादित भूमि में कोई अधिकार प्राप्त होता है। ऐसी दशा में वादी अहमद रजा के वयस्क होने के उपरान्त तीन वर्ष के भीतर उक्त विकयपत्र को शून्य करने हेतु यह वाद विहित समय अवधि के भीतर पेश किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी विवादित भूमि का स्वामी है तथा प्रतिवादी

कमांक—2 के द्वारा विवादित भूमि में से 0.03 डिसमिल भूमि का प्रतिवादी कमांक—1 के पक्ष में निष्पादित विकयपत्र दिनांक—15.12.2003 विधि विरुद्ध होने से वादी के विरुद्ध प्रभावशून्य है। अतएव वादप्रश्न कमांक—1 व 2 "प्रमाणित" के रूप में निराकृत किये जाते है।

## वादप्रश्न क्रमांक-3 व 4 का निराकरण

18— उपरोक्त बादप्रश्नों का सुविधा की दृष्टि से एक साथ निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में प्रस्तुत पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक—15.12.2003 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—1 में यह लेख है कि विकेता अहमद रजा की ओर से केता हीरादास को विवादित भूमि में से 0.03 डिसमिल भूमि का विक्रय किया गया है। उक्त भूमि के विक्रय के समय उस पर कोई मकान या निर्माण आदि का लेख किया जाना प्रकट नहीं होता है। जबिक प्रतिवादी क्मांक—1 हीरादास (प्र.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया कि उसने विवादित भूमि में से 0.03 का विक्रयपत्र निष्पादित कराए जाने के पश्चात् उस पर एक मकान हाताबाड़ी बाउन्ड्रीवॉल बना लिया है। प्रतिवादी क्मांक—1 के पक्ष में निष्पादित उक्त भू—भाग का विक्रयपत्र वादी के विरुद्ध प्रभावशून्य होने से तथा संपूर्ण विवादित भूमि वादी के स्वत्व की होने के कारण उस पर प्रतिवादी क्मांक—1 के द्वारा किया गया मकान एवं बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण अवैध है, जिसे वादी तुड़वाकर रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है।

19— वादी ने वादपत्र के अभिवचन में विवादित भूमि पर प्रतिवादी कमांक—1 के द्वारा किये गए अवैध निर्माण को तुड़वाकर प्रतिवादी कमांक—2 के आधिपत्य वाले मकान सहित संपूर्ण विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य दिलाए जाने का अनुतोष चाहा है। वादी अहमद रजा (वा.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में यह बताया है कि वर्तमान में हीरादास ने 8 डिसमिल जमीन पर कब्जा किया है, जिसमें मात्र 3 डिसमिल की रिजस्ट्री हुई है तथा 5 डिसमिल जमीन बिना रिजस्ट्री के कब्जा किये हुए है। प्रतिवादी कमांक—2, जिस मकान में रह रहा है, वह उसका ही मकान है, जो 2 डिसमिल जमीन पर बना है। इस प्रकार वादी के अभिवचन एवं उक्त कथन का प्रतिवादी पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है।

20— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी क्रमांक—1 ने वादी के स्वत्व की विवादित भूमि में से 0.08 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से आधिपत्य कर अवैध निर्माण किया है तथा प्रतिवादी क्रमांक—2 ने वादी के स्वत्व की विवादित भूमि में से 0.02 डिसमिल भूमि व उस पर बने मकान पर अवैध रूप से आधिपत्य किया है। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि व उस पर बने मकान पर कोई हक प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा किया गया अवैध निर्माण एवं कब्जा एवं प्रतिवादी क्रमांक—2 का अवैध कब्जा संरक्षण किये जाने योग्य नहीं है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक—3 व 4 ''प्रमाणित'' के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

### सहायता एवं व्यय

- 21— वादी ने अपना वाद प्रमाणित किया है। अतएव वादी का वाद स्वीकार कर वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—
  - (1) वादी को ग्राम मोहगांव प.ह.नं—42 तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 274/3, रकबा 0.10 डिसमिल भूमि व उस पर बने मकान पर स्वत्व प्राप्त है।
  - (2) प्रतिवादी क्रमांक—2 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक—1 के पक्ष में निष्पादित विवादित भूमि में से 0.03 डिसमिल भूमि का विक्रयपत्र दिनांक—15.12.2003 विधि विरूद्ध होने से प्रभावशून्य है।
  - (3) प्रतिवादी क्रमांक—1 विवादित भूमि में से 0.08 डिसमिल भूमि एवं उस पर बने मकान, बाउन्ड्रीवॉल को तुड़वाकर भूमि का रिक्त आधिपत्य वादी को प्रदान करें।
  - (4) प्रतिवादी क्रमांक—2 विवादित भूमि में से 0.02 डिसमिल भूमि का पूर्व से बने मकान सहित रिक्त आधिपत्य वादी को प्रदान करें।
  - (5) प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 अपने साथ वादी का भी वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर (सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर